पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

Rs.50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का कार्यालय **ग्राम–मझौली, पोस्ट–झारोकला, परगना व तहसील–दुद्धी, जिला–सोनभद्र** में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्य को सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी। और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियों की पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गतकराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुहिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थापित कर उसका पंजीयन कराया गया है। और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में किया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थातिप किये जाने वाले न्यास/ट्रस्ट के अधिन जानी व समझी जायेगी।

3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होगें। प्रथम न्सास की प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्न लिखित व्यक्तियों को न्यास क उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप कार्य करने को सहमत हैं। व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिसकी कुल संख्या 03 कम तथा 07 से अधिक नहीं होगी । भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है।

1. **अखिलेश सिंह यादव पुत्र श्री राम नगीना सिंह यादव**
2. **अभिषेक सिंह यादव पुत्र श्री राम नगीना सिंह यादव**
3. **लालचन्द यादव पुत्र स्व पतिराम सिंह यादव**
4. **जयप्रकाश यादव पुत्र श्री हरिनाथ यादव**
5. **संतोष यादव पुत्र श्री स्वयंबर यादव**
6. **अशोक यादव पुत्र श्री स्वयंबर यादव**

Anand